मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

<u>//आदेश//</u>

भोपाल, दिनांक 14-3-08

क्रमांक–एफ–3–104/95/12/ : यह कि श्री श्रवण कुमार पाठक व्दारा जिला सतना के ग्राम सतरी के खसरा नंबर 902 का 82.42 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 903 के रकबा 11.80 एकड कुल रकबा 94.22 एकड क्षेत्र पर चूनापत्थर खनिज का खनिपट्टा दिनांक 12.10.81 से 11.10.2001 तक के लिये स्वीकृत था।

2. यह कि आवेदक पटटाधारी श्री श्रवण कुमार पाठक व्दारा नियमानुसार दिनांक 08.3.2000 को खनिपटटा नवकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

3. यह कि आवेदक के पक्ष में पूर्व से स्वीकृत क्षेत्र वनभूमि होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील होने से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही नवीनीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

4. आवेदित क्षेत्र में चूनापत्थर खनिज की उपलब्धता प्रमाणित होने एवं राज्य शासन के राजस्व के हित को दृष्टिगत रखते हुये जिला सतना के ग्राम सतरी के कुल रकबा 94.22 एकड़ क्षेत्र पर विभागीय ज्ञापन दिनांक 22.6.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के व्यपवर्तन की सैव्दांतिक सहमति प्रदान की जाती है। वन भूमि के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही नवीनीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

5. चूंकि वन विभाग की गाईड लाईन अनुसार वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के निर्धारित मापदण्डो के फार्म–अ के भाग–एक के साथ माईनिंग प्लान सम्मिलित करना अनिवार्य है। अतः तदनुसार माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14/3/08

(एस.के. शिवानी)
अवर सचिव,
म.प्र.शासन, खनिज साधन विभाग

–2–

पृ०क०एफ–3–104 / 95 / 12 / 1 भोपाल, दिनांक 14-3-08

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर जिला–सतना (म०प्र०)
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म०प्र० भोपाल।
3. वन मण्डलाधिकारी, जिला सतना (म०प्र०) ।
4. श्री श्रवण कुमार पाठक, चाणक्यपुरी, सेमरिया चौक जिला सतना

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5. गार्ड फाईल।

14/3/08

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग